न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 43/2020 वाद
नानालाल बनाम अम्बावा व अन्य
प्रा.डिक्री. निर्णय 53, 88, 188 रा.का.अ..

2020/00090

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी सोनिका कुमारी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/20 वाद (जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00090)

नानालाल पिता श्री भैरा जी जाति मीणा, उम्र 48 वर्ष, पेशा खेती, निवासी इनियया मोड विधालय के पास उन्दरी– खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

वादी

बनाम

1. अम्बावा मीणा (भील) पिता श्री भगवाना जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी उन्दरी खुर्द हाल निवासी अमरपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज0 हाल निवासी अमरपुरा पटवार क्षैत्र टीडी पुलिस थाना टीडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.
2. श्री हुरमा पिता श्री उदा जी मीणा (भील) उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी उन्दरी खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान
3. श्री धनकी पत्नी उदा जी मीणा (भील) आयु 60 वर्ष जाति मीणा निवासी उन्दरी खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान **मृतक का नाम डिलीट किया गया।**
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर
5. श्रीमती चुनकी पत्नी हकरा जी मीणा भील आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बारापाल तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान
6. औंकार लाल पिता हरीराम मीणा उम्र 47 वर्ष निवासी 102 पांचवा मिल डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा उदयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री अमर सिंह सिसौदिया अधिवक्ता वादी
2. श्री सुखराम डिडेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम उन्दरी खुर्द पटवार हल्का उन्दरी के आराजी संख्या 404, 405, 414, 593, 594, 605, 623, 624, 625 किता 9 रकबा 0.7900 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 चुनकी का 1/3 वां हक एवं हिस्सा था जिसे दिनांक 11.06.2019 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के प्रतिवादी संख्या 5 ने वादी को उक्त भूमि सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि में 1/3वां हक व हिस्सा विध्यमान है। उक्त आराजीयात का किसी प्रकार से कोई मौखिक एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम आज भी 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित है जबकि वादी के नाम पर उक्त भूमि का नामान्तकरण अभी विचाराधीन है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

2020/00090

अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी के 1/3वा। हक व हिस्सा की घोषणा की जाकर मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी में अलग से इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार बारापाल को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार बारापाल द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांकः भू.अ./पी.डी.पालना/2025/703 दिनांक 07.10.2025 से बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रकट की गई तथा शेष प्रतिवादीगण को प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद किसी द्वारा आपति नही की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत है।

अतः उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :-

1- नानालाल पिता भेरा मीणा नि. हनिया मोड़ विद्यालय के पास उन्दरी खुर्द तह. बारापाल खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
605	0.0500	0.09
3436/625/1	0.0710	0.07
3436/625/2	0.0120	0.01
624/1	0.0320	0.06
623/1	0.0150	0.04
594/1	0.0578	0.11
किता 6	रकबा 0.2378	लगान 0.38

2- औंकारलाल पिता हरिराम मीणा निवासी 102 पांचवा मिल डाकन कोटड़ा तहसील गिर्वा उदयपुर

आ.स.	रकबा	लगान
3436/625/3	0.1112	0.11
624/2	0.0080	0.01
623/2	0.0550	0.20
404/1	0.0958	0.50
किता 4	रकबा 0.2700	लगान 0.82

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

3- चम्पा, चोखली, थावरी, बाबूलाल पिता भेरा 32/233 हि.ब. केसरी पुत्री कमल 65/1864 हि. हुरमा पुत्र उदा 1543/1864 हि. जाति भील सा. देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 43/2020 वाद
नानालाल बनाम अम्बावा व अन्य
प्रा.डिक्री. निर्णय 53, 88, 188 रा.का.अ..

2020/00090

आ.स.	रकबा	लगान
594/2	0.0272	0.04
593	0.0400	0.83
405	0.0100	0.02
404/2	0.0442	0.27
414	0.0650	0.14
किता 1	रकबा 0.0270	लगान 1.30

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा राजस्व ग्राम उन्दरी खुर्द पटवार हल्का उन्दरी के आराजी संख्या 404, 405, 414, 593, 594, 605, 623, 624, 625 किता 9 रकबा 0.7900 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5, 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाते है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अपने नौकर, एजेन्ट परिवारजन आदि से करावे। तहसीलदार बारापाल तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(अवुला सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा- उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर